9-10-14 को
[illegible] शर्मा, [illegible]
[illegible]
[illegible] 10-14

लखनलाल पुत्र गोरेलाल विल्थरे , उम्र 62
धंधा खेती निवासी ग्राम बक्स्वाहा
तह. बक्स्वाहा जिला छतरपुर म.प्र.

--- आवेदक

विरुद्ध

शासन

(13)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 3598–एक/2014 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–11–2014	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अधीनस्थ तहसीलदार तहसील बकस्वाहा जिला छतरपुर न्यायालय के प्रकरण कमांक 235/अ–68/2011–12 में पारित नोटिस दिनांक 20–8–14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया, जिसके बिरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 3– तहसीलदार के नोटिस के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा की जा रही कार्यवाही में किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । अतः प्रथमदृष्टया आवेदक को दिये गये नोटिस की कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से यह निगरानी इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । **प्रशासकीय सदस्य**	